



Neutral Citation No. - 2026:AHC:43579

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 7680/2026

सन्तोष कुमार एवं 2 अन्य

----- याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 8 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मुकेश कुमार, राजेश कुमार मिश्रा

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता, रामेश्वर प्रसाद शुक्ल

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. इस मामले में पारित किए जाने वाले आदेश के मददेनजर, निजी प्रतिवादी को नोटिस भेजकर और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखकर कोई लाभ नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी आदेश से असंतुष्ट महसूस करता है, तो उसे आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का अधिकार सुरक्षित रखा गया है।
3. इस याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील बंदीश, जिला बलिया को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 20/24 के तहत मामला संख्या 2025 (संतोष कुमार और अन्य बनाम अमर देव और अन्य) का शीघ्र निपटारा करने का निर्देश दिया जाए।
4. यह मामला प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष 20.06.2025 से लंबित है और काफी समय बीत चुका है, लेकिन आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिका का निपटारा करते हुए प्रतिवादी संख्या 2/उप-मंडल मजिस्ट्रेट, तहसील बंदीश, जिला बलिया को निर्देश दिया

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- जाता है कि वह उपरोक्त मामले का निपटारा कानून के अनुसार सख्ती से करे, लेकिन जब तक कोई कानूनी बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन न दे।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं किया है।

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

25 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।